



2026:AHC-LKO:7753-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 70/2026

योगेश कुमार अग्रवाल

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, नगर विकास, लखनऊ एवं 3 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – विमल कुमार पाण्डेय

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, संकल्प देवारी, शैलेन्द्र सिंह चौहान

न्यायालय संख्या – 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. श्री यतीन्द्र पाठक, विद्वान अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 2 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है और सुश्री डॉ. पूजा सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने विपक्षी संख्या 3 की ओर से अपना वकालतनामा दाखिल किया है, जिन्हें अभिलेख में दर्ज किया गया है।
2. वाद सुना।
3. कुछ देर तक बहस के बाद, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने और उन्हें नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान रिट याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी है, लेकिन जनहित याचिका के रूप में नहीं, बल्कि एक पीड़ित व्यक्ति के रूप में, क्योंकि याचिकाकर्ता को स्वयं जल कर जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
4. उपरोक्त के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता को उपरोक्त अनुसार नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निस्तारण किया जाता है।

2 फरवरी, 2026

पीयूष

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन रॉय)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।